निर्वाचन संचलन नियम—1961 (सांविधिक नियम एवं आदेश) (नियम—64)

प्रारूप 21-ग

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
03 गंगोत्री विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री सुरेश सिंह चौहान, ग्राम जामक पोस्ट मनेरी तहसील भटवाडी, उत्तरकाशी जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए है। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान : उत्तरकाशी

तारीख: 10.03.2022

(चतर सिंह चौहान)
रिटर्निग आफिसर
03 गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र
licturning cylicer
03 Gangotri AC.
Sub Divisional Magistrate
Bhatwari

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)
FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of $\underline{\textbf{Uttarakhand}}$ from $\underline{\textbf{3-Gangotri}}$ Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Suresh Singh Chauhan

vill-jamak,post maneri, tehshil bhatwari uttarkashi [sponsored by Bharatiya Janata Party] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Uttaricashi

Date: 10-03-2022

(Shri Chatar Singh Chauhan) Returning Officer

03-Gangotri Legislative Assembly Constituency

03 Gangotri AC. Sub Divisional Magistrate Bhatwari